न्यायालय तहसीलदार गडरारोड,जिला बाडमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 15/19 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल		गैरसायल
राजस्थन सरकार जरिये	बनाम	श्री भूरसिंह पुत्र शंकरसिंह
पटवारी हल्का रोहिडी		जाति राजपूत निवासी रोहिडी
		तहसील गडरारोड जिला बाडमेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप/अनु। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिडी ने धारा 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम रोहिडी के खसरा नंम्बर 3813 रकबा 163-02 बीघा में से 5800 वर्ग फीट ~~बीघा~~ किस्म गैर धोरा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिकमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

टी. आर .ए ,पटवारी हल्का , निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 22.04.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड
तहसीलदार गडरारोड

जुर्माना 50 फसल नि. ....
कुल योग 50/- रजि.के पृष्ठ सं. 27
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned with CamScanner